9/ 2954/86
10-11-86

X X-Part.—24

रूप क्रमांक २
(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक 17301,

यह प्रमाणित किया जाता है कि शक्ति विद्या प्रसारक समिति कटंगी

समिति जो कटंगी वार्ड क्र. 2, तहसील वारा सिवनी,

जिला बालाघाट मध्यप्रदेश में स्थित है, मध्यप्रदेश

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४)

के अधीन 4/11/86 को पंजीयित की गई है।

दिनांक चार माह ग्यारह सन् १९८६

रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी मुद्रा मध्य प्रदेश

सचिव
शक्ति विद्या प्रसारक समिति
कटंगी (बालाघाट)

(... प्रसाद श्रीवास्तव)
समितियों के रजिस्ट्रार

2201/15
16/12/15

प्रारुप–सात

(नियम 11 देखिये)

रजिस्ट्रार, फार्म एवं सोसायटी को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशन पत्र (प्रोफार्मा)

1.	संस्था का नाम व पूरा पता	शक्ति विद्या प्रसारक समिति कटंगी शक्ति विद्या मंदिर भवन वार्ड नं. 5 कटंगी तहसील कटंगी जिला बालाघाट
2.	रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं दिनांक	17301 दिनांक 04-11-1986
3.	उपस्थिति कुल सदस्यों की संख्या, उनके नाम तथा पते संलग्न करे	उपस्थित कुल सदस्य -10, सूची संलग्न है।
4.	रजिस्ट्रीकृत नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासी निकाय की अवधि	03 (तीन) वर्ष
5.	वर्तमान निर्वाचन की तारीख और उपस्थिति सदस्य संख्या एवं गणपूर्ति क्या थी	04-12-2014 उपस्थित सदस्य संख्या-10 गणपूर्ति - 3/5 से अधिक
6.	विद्यमान पदाधिकारियों ने पूर्व पदाधिकारियों से किस तारीख को कार्यभार ग्रहण किया, एक सूची, उनके नाम, पति तथा उपजीविकाये उनके हस्ताक्षर सहित संलग्न करे।	04-12-2014 सूची संलग्न है।
7.	पूर्व निर्वाचन की तरीख	28-12-2011
8.	सोसायटी के नियमों तथा विनियम के अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन का मास तथा तारीख	मास तथा तारीख निश्चित नही है।
9.	अंतिम वार्षिक सूची कब प्रस्तुत की गई थी, यदि प्रस्तुत नही की गई हो तो उसका क्या कारण है।	14-03-2011
10.	इस वर्ष के वार्षिक साधारण सम्मेलन के कार्यवृत तारीख सहित संलग्न करे	04-11-2015 कार्यवृत की प्रति संलग्न है।
11.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अधीन सूची की वार्षिक फीस रूपये 4040=00 रसीद/चालान क्रमांक........ तरीख 30-11-15 द्वारा जमा कर दी गई है।	मूल प्रति संलग्न है।

मैं श्रीमती केशर बिसेन पति श्री सोमेश्वर बिसेन आयु........ वर्ष प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है और यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38 (2) के अधीन दण्डनीय होगा ।

16/12/2015

हस्ताक्षर अध्यक्ष/सचिव

ए के पंडित
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एव सस्थाऐं जबलपुर
सम्भाग जबलपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

61AA 895623

कार्यालयीन [illegible] [illegible] 81

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें • जबलपुर संभाग जबलपुर •

Pandit 16/12/15

ए के पंडित
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फ़र्म्स एव संस्थाऐं जबलपुर
सम्भाग जबलपुर

2992/15
14/3/16

संसोधित प्रारूप क्रमांक–1
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन–पत्र
(देखिये नियम–3)

1. संस्था का नाम :– **शक्ति विद्या प्रसारक समिति कटंगी** तहसील कटंगी जिला बालाघाट–(म.प्र.) रहेगा ।

2. **संस्था का कार्यालय :– शक्ति विद्या मंदिर भवन, वार्ड नं. 5,कटंगी, तहसील कटंगी** जिला बालाघाट (म.प्र.)पिन 481445में स्थित रहेगा ।

17301
9/11/86
16/12/15

3. **संस्था का उद्देश्य :– समिति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे–**

1. जिलो मे हिन्दी माध्यम से तथा अन्य भाषाओं से शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना है।
2. जिलो मे शिक्षा के प्रचार हेतु पूर्व प्राथमिक माध्यमिक शालाऐ एंव उच्चतर माध्यमिक शालाओं का निर्माण एंव संचालन करना।
3. उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दान तथा अन्य सम्पति हासिल करना एंव भवन निर्माण आदि करना एंव उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीयकृत बैंको या अन्य संस्थानों से ऋण प्राप्त करना ।
4. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिय सदस्यता शुल्क प्राप्त करना दान दाताओं से नगद अथवा अचल सम्पति प्राप्त करना अथवा दान स्वरूप अन्य साम्रगी प्राप्त करना।
5. मराठी भाषीय अल्पसंख्यक समुदाय हेतु शिक्षा स्वास्थ के क्षेत्र मे कार्य करना एंव इस हेतु जनकल्याणकारी कार्य करना।
6. आम जन को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने हेतु शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करना एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा उन्हे शिक्षित करना इस हेतु आवासीय व गैर आवासीय विद्यालय एवं महाविद्यालय संचालित करना।
7. आम जन में तकनिकी शिक्षा जैसे कम्प्युटर शिक्षा, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे जागृति उत्पन्न करना इस हेतु प्रचार प्रसार करना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उनका संचालन करना।
8. डी.एड, बी.एड, एम.एड, इंजिनियरिंग, मेडिकल, ए.एन.एम., जी.एन.एम. बी.एस.सी.नर्सिंग, सहचिकित्सा, डी. फार्मा, बी.फार्मा, फार्मासीटीकल, मिडवायफरी सेंटर, सहायक प्रशिक्षण सेंटर, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, सिलाई सेंटर, कला एवं संगीत विद्यालय, एवं आई.टी.आई. व अन्य व्यवसायिक शिक्षा का प्रचार–प्रसार एवं उसके लिये शिक्षण संस्थानो की स्थापना कर उनका संचालन करना।
9. व्यायाम विद्या की प्रोन्निति के लिए।
10. विज्ञान, सांस्कृतिक कला, ललित कलाओं, लोक गीत, लोक नृत्य, क्रीडा आदि की अभिवृद्धि।
11. छात्र–छात्राओं मे छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को सम्पन्न करना।
12. स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, रेड क्रास सोसायटी के उद्देश्य का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाना। विकलांग, नेत्रहीन, कुष्ठ रोगियों, पोलियो, एड्स, टी.बी., मलेरिया, शिशु भ्रूण हत्या, स्वास्थ्य परिवार कल्याण में शासन का सहयोग एवं उक्त कार्यक्रम का आयोजन करना।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

13. पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण व संवर्धन हेतु कार्य करना।

14. वन्य जीव / प्राणी संरक्षण हेतु कार्य करना।

15. वैकल्पिक उर्जा हेतु शोध व प्रचार प्रसार करना। इस हेतु प्रदर्शनी का आयोजन करना।

16. समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गो हेतु जनकल्याणकारी कार्य करना।

17. महिला व बाल विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

18. नशा मुक्ति हेतु जन जागृति अभियान चलाना।

19. स्वसहायता समूह बनाने एवं स्वरोजगार हेतु आम जन को प्रेरित करना व मार्गदर्शन देना।

20. कृषि की नवीन तकनिकीयो से कृषको को अवगत कराना एवं अनुसंधान करना।

21. निःशक्तजन, वृद्ध, परित्यगतता महिला, बच्चे आदि के लिये आश्रम का संचालन करना।

22. उद्योग, वाणिज्य, खादी की प्रोन्नति के लिये कार्य करना।

23. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को कार्यान्वित करना।

4. समिति प्रबंध विनिमयों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध शासक परिषद, संचालको सभा या शासी निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम,पते तथा व्यवसाय का उल्लेख निम्नांकित है :–

क्र	नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री जयप्रकाश पालीवाल आत्मज श्री जगरामदास पालीवाल	अध्यक्ष	गंज चौक, कटंगी, तह., कटंगी, जि. बालाघाट (म.प्र.)	सही
2	श्री रविन्द्र पटले आत्मज श्री भगतसिंह पटले	उपाध्यक्ष	मुण्डीवाड़ा, थाना कटंगी, तह. कटंगी, जि. बालाघाट (म.प्र.)	सही
3	श्रीमती केशर बिसेन जौजे श्री सोमेश्वर बिसेन	सचिव	वार्ड नं. 10, कटंगी, तह. कटंगी, जि. बालाघाट (म.प्र.)	सही
4	श्रीमती शकुन भायदे जौजे श्री वामन भायदे	कोषाध्यक्ष	वार्ड नं. 10, कटंगी, तह. कटंगी, जि. बालाघाट (म.प्र.)	सही
5	श्री कांतिलाल पटले आत्मज श्री राजाराम पटले	सह सचिव	वार्ड नं. 11, कटंगी तह.कटंगी जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही
6	श्री ओमकार राय आत्मज श्री उद्दल राय	सदस्य	वार्ड नं. 11, कटंगी तह.कटंगी जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही
7	श्री भीवराम भूरे आत्मज श्री ठोमू जी भूरे	सदस्य	वार्ड नं. 1, तह.कटंगी जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमो की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधिन अपेक्षित है।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है।

17341
4/11/86

क्र	नाम	पता	हस्ताक्षर	सक्षी का नाम व पता	हस्ताक्षर साक्षी
1	श्री जयप्रकाश पालीवाल आत्मज श्री जगरामदास पालीवाल	गंज चौक, कटंगी, तह., कटंगी, जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही	ओमप्रकाश दुबे वार्ड नं. 11, कटंगी तह.कटंगी जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही
2	श्री रविन्द्र पटले आत्मज श्री भगतसिंह पटले	मुण्डीवाड़ा, थाना कटंगी, तह. कटंगी, जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही	वामन भायदे वार्ड नं. 10, कटंगी, तह. कटंगी, जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही
3	श्रीमती केशर बिसेन जौजे श्री सोमेश्वर बिसेन	वार्ड नं. 10, कटंगी, तह. कटंगी, जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही	सरस्वती कोचर जौजे श्री त्रिलोक कोचर वार्ड नं. 10, कटंगी, तह. कटंगी, जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही
4	श्रीमती शकुन भायदे जौजे श्री वामन भायदे	वार्ड नं. 10, कटंगी, तह. कटंगी, जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही	रामकृष्ण सिंह वार्ड नं. 9, कटंगी, तह. कटंगी, जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही
5	श्री कांतिलाल पटले आत्मज श्री राजाराम पटले	वार्ड नं. 11, कटंगी तह.कटंगी जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही	दुलीचंद वार्ड नं. 9, कटंगी, तह. कटंगी, जि. बालाघाट (म.प्र.)	सही
6	श्री ओमकार राय आत्मज श्री उद्दल राय	वार्ड नं. 11, कटंगी तह.कटंगी जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही	ललित नेवारे वार्ड नं. 5, कटंगी, तह. कटंगी, जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही
7	श्री भीवराम भूरे आत्मज श्री ठोमू जी भूरे	वार्ड नं. 1, तह.कटंगी जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही	बाबुलाल वार्ड नं. 10, कटंगी, तह. कटंगी, जि.बालाघाट (म.प्र.)	सही

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

14/3/16

A. K. PANDIT
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

शक्ति विद्या प्रसारक समिति कटंगी, जि. बालाघाट (म.प्र.)

220/15
16/12/15

वर्तमान प्रबंधकारिणी की सूची

कार्यकाल दिनांक 04-12-2014 से 03-12-2017 तक

क्र.	नाम पिता / पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री विश्वेश्वर भगत श्री तेजराम भगत	अध्यक्ष	ग्राम घुबड़गोंदी, पो. कचेखनी तह. खैरलांजी, जि. बालाघाट (म.प्र.)	कृषि	[signature]
2	श्री आशुतोष बिसेन पिता श्री एस.एस.बिसेन	उपाध्यक्ष	ग्राम+पो. बनेरा, तह. कटंगी, जि. बालाघाट (म.प्र.)	कृषि	Ashutosh
3	श्रीमती केशर बिसेन पति श्री सोमेश्वर बिसेन	सचिव	ग्राम+पो. बनेरा, तह. कटंगी, जि. बालाघाट (म.प्र.)	कृषि	[signature]
4	श्री आदित्य बिसेन पिता श्री एस.एस. बिसेन	संयुक्त सचिव	ग्राम+पो. बनेरा, तह. कटंगी, जि. बालाघाट (म.प्र.) वार्ड नं. 05 कटंगी	अभियंता	[signature]
5	श्री विरेन्द्र ठाकुर पिता श्री मानसिंह ठाकुर	कोषाध्यक्ष	ग्राम अमुरला, तह. बरघाट, जि. सिवनी (म.प्र.)	कृषि	[signature]
6	श्रीमती झामेश्वरी पटले पति श्री खुश्हाल पटले	सदस्य	ग्राम+पो. बनेरा, तह. कटंगी, जि. बालाघाट (म.प्र.)	कृषि	झामेश्वरी
7	कु. छाया बिसेन पिता श्री एस.एस.बिसेन	सदस्य	ग्राम+पो. बनेरा, तह. कटंगी, जि. बालाघाट (म.प्र.)	गृहणी	Chhaya

सत्यप्रतिलिपि
16/12/2015

ए. के. पंडित
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ जबलपुर
सम्भाग जबलपुर

सचिव
शक्ति विद्या प्रसारक समिति
कटंगी

2992/15
14/3/16

12301
4/11/86
संशोधित — 16/12/13

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम :– **शक्ति विद्या प्रसारक समिति कटंगी** तहसील कटंगी जिला बालाघाट–(म.प्र.) रहेगा ।

2 संस्था का कार्यालय :– **शक्ति विधा मंदिर भवन, वार्ड नं. 5,कटंगी, तहसील कटंगी** जिला बालाघाट (म.प्र.)पिन 481445 में स्थित रहेगा ।

3 कार्यक्षेत्र :– **सम्पूर्ण भारत।**

संस्था का उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:–

1- जिलो मे हिन्दी माध्यम से तथा अन्य भाषाओं से शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना है।

2- जिलो मे शिक्षा के प्रचार हेतु पूर्व प्राथमिक माध्यमिक शालाऐ एंव उच्चतर माध्यमिक शालाओं का निर्माण एंव संचालन करना।

3- उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दान तथा अन्य सम्पति हासिल करना एंव भवन निर्माण आदि करना एंव उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीयकृत बैंको या अन्य संस्थानों से ऋण प्राप्त करना ।

4- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिय सदस्यता शुल्क प्राप्त करना दान दाताओं से नगद अथवा अचल सम्पति प्राप्त करना अथवा दान स्वरूप अन्य साम्रगी प्राप्त करना।

5- मराठी भाषीय अल्पसंख्यक समुदाय हेतु शिक्षा स्वास्थ के क्षेत्र मे कार्य करना एंव इस हेतु जनकल्याणकारी कार्य करना।

6- आम जन को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने हेतु शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करना एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा उन्हे शिक्षित करना इस हेतु आवासीय व गैर आवासीय विद्यालय एवं महाविद्यालय संचालित करना।

7- आम जन में तकनिकी शिक्षा जैसे कम्प्युटर शिक्षा, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे जागृति उत्पन्न करना इस हेतु प्रचार प्रसार करना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उनका संचालन करना।

8- डी.एड, बी.एड, एम.एड, इंजिनियरिंग, मेडिकल, ए.एन.एम., जी.एन.एम, बी.एस.सी.नर्सिंग, सहचिकित्सा, डी. फार्मा, बी.फार्मा, फार्मासीटीकल, मिडवायफरी सेंटर, सहायक प्रशिक्षण सेंटर, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, सिलाई सेंटर, कला एवं संगीत विद्यालय, एवं आई.टी.आई. व अन्य व्यवसायिक शिक्षा का प्रचार–प्रसार एवं उसके लिये शिक्षण संस्थानो की स्थापना कर उनका संचालन करना।

9- व्यायाम विद्या की प्रोन्निति के लिए।

10- विज्ञान, सांस्कृतिक कला, ललित कलाओं, लोक, गीत, लोक नृत्य, क्रीड़ा आदि की अभिवृद्धि।

11- छात्र–छात्राओं मे छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने हेतु विंभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को सम्पन्न करना।

12- स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, रेड क्रास सोसायटी के उद्देश्य का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाना। विकलांग, नेत्रहीन, कुष्ठ रोगियों, पोलियो, एड्स, टी.बी., मलेरिया, शिशु भ्रूण हत्या, स्वास्थ्य परिवार कल्याण में शासन का सहयोग एवं उक्त कार्यक्रम का आयोजन करना।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

13- पर्यावरण संरक्षण, जल संरंक्षण व संवर्धन हेतु कार्य करना।

14- वन्य जीव/प्राणी संरंक्षण हेतु कार्य करना।

15- वैकल्पिक उर्जा हेतु शोध व प्रचार प्रसार करना। इस हेतु प्रदर्शनी का आयोजन करना।

16- समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गो हेतु जनकल्याणकारी कार्य करना।

17- महिला व बाल विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

18- नशा मुक्ति हेतु जन जागृति अभियान चलाना।

19- स्वसहायता समूह बनाने एवं स्वरोजगार हेतु आम जन को प्रेरित करना व मार्गदर्शन देना।

20- कृषि की नवीन तकनिकीयो से कृषको को अवगत कराना एवं अनुसंधान करना।

21- निःशक्तजन, वृद्ध, परित्यगतता महिला, बच्चे आदि के लिये आश्रम का संचालन करना।

22- उद्योग, वाणिज्य, खादी की प्रोन्नति के लिये कार्य करना।

23- राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को कार्यान्वित

5. सदस्यता :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे–

(अ) **संरक्षक सदस्य** – संस्था को जो व्यक्ति सदस्यता के रूप में 25000/– रू. या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्य** – जो व्यक्ति संस्था के सदस्यता के रूप में रू. 20000/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 5000/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्य** – जो व्यक्ति 500/– प्रतिवर्ष संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने सदस्यता दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक देय सदस्यता शुल्क नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लियें नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया सदस्यता की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्मानीय सदस्य** – संस्था की प्रबन्ध कारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तुं उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(6) सदस्यता की प्राप्ति :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो समिति द्वारा निर्धारित फार्म पर लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन–पत्र प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन–पत्र स्वीकार करने या कारण बताते हुए उसे अमान्य करने का अधिकार प्रबंधकारिणी को होगा।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

(7) सदस्यों की योग्यता :–संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैं

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हों। (2) भारतीय नागरिक हो । (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो । (4) सद्‌चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

(8) सदस्यता की समाप्ति :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर । (3) संस्था को देय सदस्यता की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर । (4) त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। (5) चारित्रक दोष होने पर और साधारण सभा के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगें:–

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
2. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. साधारण सभा:– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगें।

(अ) साधारण सभा:– साधारण सभा की बैठक आवश्यक्तानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दे दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों को होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारीयों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नही किया जावेगा तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंन्धकारिणी सभा :– प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का ऐजेन्डा या सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यो की संख्या का) 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

11. **साधारण सभा कें अधिकार व कर्त्तव्य** :–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रको को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबन्धकारिणी का गठन** :– ट्रस्टिज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेगे। नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्स्यों का निर्वाचन होगा –

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव

(4) कोषाध्यक्ष 01 (5) संयुक्त सचिव एंव सदस्य 02

13. **प्रबन्ध समिति का कार्यकाल** :– प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता, करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य** :– (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परिक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था को चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौपे जाए।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावरसंपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित सूचना अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आहरित नही की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों दो तिहाई मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

15. **अध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठक का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की, समस्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का वहन करेगा।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार** :– (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति के आय व्यय का लेखा परिक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरिक्षण करना व नियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 15000 / – रू. खर्च करने का अधिकार।

18. **सहसचिव (मंत्री) के अधिकार** :– सचिव की अनुपस्थिति में सहसचिव को सचिव के समस्त अधिकार प्राप्त होंगें।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :– समिति के आय व्यय का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव व कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 15000 / – रहेगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारीः**– अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी। तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

22. **संशोधनः**– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतो से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए को होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

23.विघटनः— संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 मतो से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार की जावेगी।

24. सम्पत्ति :— संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐ को लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी।

17301
4/11/86
16/12/15

25. बैंक खाता — संस्था की समस्त निधि हेतु खाता किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :— संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारीयों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. विवाद :— संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षो को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

14/3/16

A. K. PANDIT
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

66AA 500250

जबलपुर संभाग जबलपुर

CANCELLED

14/3/16

A. K. PANDIT
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

66AA 500249

CANCELLED

14/3/16

A. K. PANDIT
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur